# C-12(MR)

### **Assessment and Identification of Needs**

B. Ed. Special Education

(BEDSEDE-15)

Second Semester, Examination, 2018

Time: 3 Hours Max. Marks: 80

Note: This paper is of eighty (80) marks containing three (03) Sections A, B and C. Learners are required to attempt the questions contained in these Sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्न पत्र अस्सी (80) अंकों का है जो तीन (03) खण्डों 'क', 'ख' तथा 'ग' में विभाजित है। शिक्षार्थियों को इन खण्डों में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

#### Section-A / खण्ड-क

(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

**Note:** Section 'A' contains four (04) long answer type questions of nineteen (19) marks each. Learners are required to answer *two* (02) questions only.

नोट : खण्ड 'क' में चार (04) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए उन्नीस (19) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Discuss AAMR in detail.

AAMR की विस्तृत चर्चा कीजिए।

2. Discuss the significance of assessment of independent living of persons with intellectual disabilities with suitable examples.

बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के स्वतन्त्र रूप से रहने के लिए आकलन के महत्त्व की उचित उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए।

3. Discuss the psychological and educational classification of intellectual disability.

बौद्धिक विकलांगता के मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक वर्गीकरण की चर्चा कीजिए।

4. Discuss the importance of assessment of family and community resources for inclusion of persons with intellectual disabilities in society.

बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के समाज में समावेश के लिए पारिवारिक एवं सामुदायिक संसाधनों के आकलन के महत्त्व की चर्चा कीजिए।

## Section\_B / खण्ड—ख

(Short Answer Type Questions) / (लघु उत्तरीय प्रश्न)

**Note:** Section 'B' contains eight (08) short answer type questions of eight (08) marks each. Learners are required to answer *four* (04) questions only.

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आठ (08) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

- Discuss the causes of intellectual disabilities.
  बौद्धिक विकलांगता के कारणों की चर्चा कीजिए।
- Discuss ICF.
  आई. सी. एफ. की चर्चा कीजिए।
- 3. Write the purpose of educational assessment. शैक्षणिक आकलन के उद्देश्य की चर्चा कीजिए।
- 4. Write a short note on rating scales. रेटिंग स्केल्स पर लघु टिप्पणी लिखए।
- Write a short note on adaptive behavior.
  अनुकूलन व्यवहार पर लघु टिप्पणी लिखिए।
- 6. Write a short note on FACP. एफ. ए. सी. पी. पर लघु टिप्पणी लिखिए।
- 7. Discuss the prenatal causes of intellectual disability. बौद्धिक विकलांगता के जन्म पूर्व के कारणों की चर्चा कीजिए।
- Discuss the characteristics of children with intellectual disabilities.
   बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों की विशेषताओं की चर्चा

कीजिए।

[4] S-899

### Section-C / खण्ड-ग

## (Objective Type Questions) / (वस्तुनिष्ट प्रश्न)

**Note:** Section 'C' contains ten (10) objective type questions of one (01) mark each. All the questions of this Section are compulsory.

नोट : खण्ड 'ग' में दस (10) वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक (01) अंक निर्धारित है। इस खण्ड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Choose the correct alternative:

## सही विकल्प चुनिए:

- 1. IQ in mild intellectual disability is:
  - (a) above-70
  - (b) above-40
  - (c) above-30
  - (d) above-90

अल्प बौद्धिक विकलांगता में आई. क्यू. होती है :

- (अ) 70 से ऊपर
- (ब) 40 से ऊपर
- (स) 30 से ऊपर
- (द) 90 से ऊपर
- 2. Full form of FACP is:
  - (a) Functional Assessment Checklist for Programming

- (b) Functional Adaptive Classes Programme
- (c) Formative Assessment Checklist Pro forma
- (d) None of the above
- एफ. ए. सी. पी. का पूरा नाम है :
- (अ) फंक्शनल एसेसमेन्ट चैकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग
- (ब) फंक्शनल एडैप्टिव क्लासिज प्रोग्राम
- (स) फॉर्मेटिव एसेसमेन्ट चैकलिस्ट प्रोफोर्मा
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- 3. Full form of NRT is:
  - (a) Name and Reference Test
  - (b) None Reference Test
  - (c) Norm Referenced Test
  - (d) None of the above
  - एन. आर. टी. का पूरा नाम है :
  - (अ) नेम एण्ड रेफरेंस टेस्ट
  - (ब) नन रेफरेंस टेस्ट
  - (स) नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट
  - (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- 4. RPD Act, 2016 has ...... no. of diability.
  - (a) 7
  - (b) 10
  - (c) 15
  - (d) 21

आर.	पी.	डी.	अधिनियम,	2016	में	 प्रकार	की
विकलांगताएँ शामिल हैं।							

- (अ) 7
- (ब) 10
- (स) 15
- (द) 21
- 5. Portage is meant for the children aged ..........
  - (a) 10 years and above
  - (b) Below 5 years
  - (c) 12-16 years
  - (d) None of the above

पोर्टेज उम्र के बच्चों के लिए है।

- (अ) 10 वर्ष व इससे अधिक
- (ब) 5 वर्ष से कम
- (स) 12 से 16 वर्ष
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- 6. Full form of ICF is:
  - (a) International Classification of Functioning
  - (b) Intellectual Classification of Functioning
  - (c) Intellectual Class of Functioning
  - (d) None of the above
  - आई. सी. एफ. का पूरा नाम है :
  - (अ) इन्टरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग

- (ब) इन्टलैक्चुअल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग
- (स) इन्टलैक्चुअल क्लास आफ फंक्शनिंग
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- 7. VAPS tool is for ..........
  - (a) Vocational Training
  - (b) Educational Assessment
  - (c) Physical Assessment
  - (d) Both (a) and (b)

वी. ए. पी. एस. टूल के लिए है।

- (अ) व्यावसायिक प्रशिक्षण
- (ब) शैक्षणिक आकलन
- (स) शारीरिक आकलन
- (द) (अ) एवं (ब) दोनों
- 8. ..... tool has 30 items:
  - (a) MDPS
  - (b) VAPS
  - (c) GLAD
  - (d) None of the above

टूल में 30 आइटम्स हैं :

- (अ) एम. डी. पी. एस.
- (ब) वी. ए. पी. एस.
- (स) जी. एल. ए. डी.
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

[8] S-899

- 9. IFSP is used for :
  - (a) Assessment of family needs
  - (b) Assessment of Teacher
  - (c) Assessment of Individual needs
  - (d) None of the above
  - आई. एफ. एस. पी. का प्रयोग करते हैं :
  - (अ) पारिवारिक जरूरतों के आकलन के लिए
  - (ब) शिक्षक की जरूरतों के आकलन के लिए
  - (स) वैयक्तिक जरूरतों के आकलन के लिए
  - (द) उपर्युक्त में से किसी के लिए भी नहीं
- 10. The Union Ministry responsible for persons with disability in :
  - (a) Ministry of Social Justice and Empowerment
  - (b) Ministry of Disabled Welfare
  - (c) Ministry of Education
  - (d) None of the above

विकलांग लोगों के लिए जिम्मेदार केन्द्र सरकार के मंत्रालय का नाम है:

- (अ) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- (ब) विकलांग कल्याण मंत्रालय
- (स) शिक्षा मंत्रालय
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

S-899 40